



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-21042025-262565
CG-CG-E-21042025-262565

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1771]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 19, 2025/चैत्र 29, 1947

No. 1771]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 19, 2025/CHAITRA 29, 1947

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे]

अधिसूचना

बिलासपुर, 17 अप्रैल, 2025

का.आ. 1804(अ).—केंद्रीय सरकार रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20क की उपधारा (1) जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्रीय सरकार सार्वजनिक उद्देश के लिये संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का जिसका संक्षिप्त विवरण सलग अनुसूची में दिया गया है, जो कि विशेष रेल परियोजना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत झारसुगड़ा-रायगढ़, रायगढ़-चांपा, चांपा-बिलासपुर, तिल्दा-बिलासपुर, तिल्दा-दुर्ग, मुंडीकोटा-नागपुर, बिलासपुर-पेंडारोड-अनूपपुर और रायपुर-लखौली के मध्य में मौजूदा 1x25KV ट्रैक्शन सिस्टम को 3000 MT लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2x25 KV एटी फीडर व्यवस्था में अपग्रेड करने हेतु छत्तीसगढ़ एवम् उड़ीशा राज्य में निष्पादन के लिए आवश्यक है एतद द्वारा अधिग्रहण करने के आशय की घोषणा करती है। उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन एवं उपयोग के सम्बन्ध पर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी यानी भू-अर्जन अधिकारी झारसुगड़ा, उड़ीशा, अनुबिभागीय अधिकारी (रा०) भाटापारा एवं अकलतरा, छत्तीसगढ़ को स्वयं या किसी वकील के माध्यम से लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेप कर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के माध्यम से

सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच यदि कोई हो तो करने के पश्चात् जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुगत या अननुगत कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा, इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन एवं अन्य व्योरे उपलब्ध है और हितवद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत झारसुगड़ा-रायगढ़, रायगढ़-चांपा, चांपा-विलासपुर, तिल्दा-विलासपुर, तिल्दा-दुर्ग, मुंडीकोटा-नागपुर, बिलासपुर-पेंड्रा रोड-अनूपपुर और रायपुर-लखोली के मध्य में मौजूदा 1x25KV ट्रैक्शन सिस्टम को 3000 MT लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2x25 KV एटी फीडर व्यवस्था में अपग्रेड करने हेतु छत्तीसगढ़ एवम् उड़ीशा राज्य में अधिग्रहण किये जाने के लिए संरचना रहित या सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण –

क्रम सं.	तहसील का नाम	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ सक्षम प्राधिकारी	गाँव का नाम	पटवारी हल्का सं	भूमि का स्वामित्व	भूमि की प्रकृति	भूमि खसरा क्र.	भूअर्जन हेतु भूमि का प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	लखनपुर	लखनपुर, (जिला- झारसुगड़ा)	बेलपहार	खाता सं. 1261/1192,915	हेमसागर मुगरी, पिता – चंद्रभानु मुगरी अन्य रामनाथ शुक्ला एवं अन्य	ब. सा.	194(प), 193(प)	0.105+ 0.664 = 0.769
2.	भाटापारा	भाटापारा (जिला- बलोदाबाज़ार- भाटापारा)	अवरेठी	प. ह.पं. 10	शासकीय	चराई	97/2	2.349
3.	अकलतरा	अकलतरा (जिला- चाम्पा- जाँजगीर)	खोंड	प. ह.पं. 13	ओमप्रकाश एवं अन्य (निजी), शासकीय	कृषि, गौचर	832, 831/1	0.028+ 0.142 = 0.17
							कुल	3.288

[फा. सं. सीपीएम/इले/वीएसपी/2x25 के.वी. ओ.एच.ई/भूमि अधि./20 A/718]

आलोक तिवारी, चीफ इंजीनियर (निर्माण -१)

MINISTRY OF RAILWAYS

S.E.C. Railways

NOTIFICATION

Bilaspur, 17 April, 2025

S.O. 1804(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20(A) of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for execution of Special Railway Project, namely for Up-gradation of existing 1x25KV Traction System to 2x25KV OHE with AT feeder arrangement between Jharsugda-Raigarh, Raigarh-Champa, Champa-Bilaspur, Tilda-Bilaspur, Tilda-Durg, Mundikota-Nagpur, Bilaspur-Pendra Road-Anuppur & Raipur-Lakholi sections over SEC Railway to meet 3000MT loading target in the state of Chhattisgarh and Odisha over SEC railway, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub section (1) of section 20 (D) of the said act.

Every objection shall be made to the competent authority namely Land Acquisition officer Jharsugda, Odisha, Sub Divisional Officer (Revenue) Bhatapara and Akaltara, Chhattisgarh in writing and shall set out grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub section (2) of section 20 (D) of the said act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed Special Railway Project namely for Up-gradation of existing 1x25KV Traction System to 2x25KV OHE with AT feeder arrangement between Jharsugda-Raigarh, Raigarh-Champa, Champa-Bilaspur, Tilda-Bilaspur, Tilda-Durg, Mundikota-Nagpur, Bilaspur-Pendra Road-Anuppur & Raipur-Lakholi sections over SEC Railway to meet 3000MT loading target in the state of Chhattisgarh and Odisha.

SN	Name of Tehsil	SDM (Rev.)/ Competent Authority	Name of Village	Patwari halka No.	Nature of ownership	Nature of land	Land khasra no.	Area of proposed land for acquisition (in hectare)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Lakhanpur	Lakhanpur Distt- Jharsuguda	Belpahar	Khata No. 1261/ 1192, 915	Hemsagar Mugri S/o Chandrabhanu Mugri and Others, Ramnath Shukla, S/o Shibanath Shukla and Others	Ba.Sa	194(P), 193(P)	0.105+ 0.664 = 0.769
2.	Bhatapra	Bhatapara Distt- Baloda Bajar-Bhatapara	Avarethi	PH No. 10	C.G. Govt.	Charai	97/2	2.349
3.	Akaltara	Akaltara, Distt- Champa-Janjgir	Khond	PH No. 13	Omprakash and others (Private), C.G. Govt.	Krishi, Gouchar	832, 831/1	0.028+ 0.142 = 0.17
							Total	3.288

[F. No. CPM/Ele. /BSP/2x25KV OHE/Land Acquisition/20 A/718]

ALOK TIWARI, Chief Engineer (Con-I)